समाचार

अब तक 849 श्वानों का किया गया बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण

कोरबा 04 नवम्बर 2020 – नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा विशेष दक्ष टीम के माध्यम से विगत अब तक के दौरान 849 श्वान के बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण का कार्य कराया गया है, जिसमें 570 मेल श्वान एवं 279 फीमेल श्वान शामिल है, यह कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

निगम के स्वास्थ्य अधिकारी श्री व्ही.के.सारस्वत ने बताया कि श्वान जन्म नियंत्रण एवं टीकाकरण कार्य के अंतर्गत नगर निगम कोरबा द्वारा समय–समय पर शहर में आवारा रूप से विचरण करने वाले श्वानों के बन्ध्याकरण व टीकाकरण का कार्य कराया जाता है, इस वर्ष भी यह कार्य कराया जा रहा है। उन्होने बताया कि बन्ध्याकरण व टीकाकरण का यह कार्य संजीवनी जनसेवा समिति एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है, एजेंसी की विशेष कार्य दक्ष टीम निगम के सभी आठ जोन में भ्रमण कर रही है तथा आवारा श्वानों की खोज कर उनके बन्ध्याकरण व टीकाकरण का कार्य संपन्न करा रही है। विगत 07 सितम्बर से प्रारंभ किए गए इस कार्य के अंतर्गत अभी तक 849 श्वानों का बन्ध्याकरण एवं एंटीरेबीज का टीकाकरण कराया जा चुका है, आगे भी यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। उन्होने कहा कि आवारा श्वानों के भ्रमण आदि की सूचना आमनागरिक निगम को दे सकते हैं, उनकी सूचना पर भी यह टीम त्वरित आवश्यक कार्यवाही करेगी।

सार्वजनिक स्थान में कचरा फेंकने पर लगाया जा रहा अर्थदण्ड– नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा नगर की साफ–सफाई व्यवस्था व स्वच्छता पर बराबर नजर रखी जा रही है, जिन लोगों द्वारा घर एवं दुकानों से निकले हुए कचरे को सार्वजनिक स्थानों, सड़क, नाली आदि में फेंक दिया जा रहा है, उन पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है, अक्टूबर माह में निगम द्वारा इस दिशा में कार्यवाही करते हुए 8100 रूपये का अर्थदण्ड वसूला गया तथा लोगों को हिदायत दी गई की वे कचरे को सार्वजनिक स्थान पर न फेंके। इसी प्रकार सी.एण्ड डी.वेस्ट का समुचित समापन न करने व सामग्री को अव्यवस्थित रूप से रखने पर 1500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

सी.एण्ड डी.वेस्ट निष्पादन हेतु स्थल निर्धारित –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सी.एण्ड डी. वेस्ट के निष्पादन हेतु रामपुर ढेगुरनाला के पास भूमि खसरा क्रमांक 136, रकबा 8.50 एकड़ निर्धारित किया गया है, जिसमें निगम क्षेत्र से उत्सर्जित सी.एण्ड डी.वेस्ट का निपटान किया जाएगा। सी.एण्ड डी.वेस्ट के निपटान की जिम्मेदारी संबंधित निर्माणकर्ता की होती है, जिसमें निगम से सहयोग लिया जा सकता है, इस हेतु उक्त कार्य के प्रभारी अधिकारी सहायक अभियंता योगेश राठौर मो.नं. 87703–13266, सम्पत्तिकर अधिकारी श्रीधर बनाफर मो.नं. 75877–37770 तथा शशांक दुबे मो.नं. 83190–08092 हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए इन नम्बरों पर संपर्क किया जा सकता है। निर्माण व विध्वंस स्थल पर ज्यादा समय तक मलवे का पड़े रहना नियमों के विपरीत है यदि मलवे को सार्वजनिक स्थल पर डाला जाता है या सड़क किनारे यू ही पड़े रहने दिया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध निगम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करेगा एवं अर्थदण्ड भी आरोपित होगा।

मलवे के समापन में निगम देगा सहयोग– प्रभारी अधिकारी योगेश राठौर ने बताया कि निर्माण व भवन आदि की तोड़–फोड़ के दौरान निकलने वाले मलवे के समुचित समापन हेतु संबंधित व्यक्ति को यूजर चार्जेज के आधार पर निगम संसाधन उपलब्ध कराएगा, इस हेतु निगम ने आवश्यक व्यवस्थाएं एवं यूजर चार्ज निर्धारित किए हैं, उन्होने बताया कि टाटा ऐस या समतुल्य प्रकार के वाहन हेतु 500 रूपये, टाटा 407 या समतुल्य प्रकार के वाहन के लिए 600 रूपये, ट्रेक्टर ट्राली के लिए 750 रूपये तथा ट्रक के लिए 1500 रूपये यूजर चार्जेज निर्धारित किया गया है। उन्होने ने बताया कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की अवैध डम्पिंग की स्थिति में अर्थात निर्माण स्थल पर की गई ऐसी डम्पिंग जिसकी सूचना निगम को नहीं दी गई थी एवं उसको निगम परिवहन कर निर्धारित स्थल पर पहुंचाता है तो उपरोक्त दर पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त उपभोक्ता शुल्क वसूला जाएगा, यदि अपशिष्ट सृजनकर्ता द्वारा स्वयं के वाहन से निर्धारित स्थल पर अपशिष्ट पहुंचाया जाता है तो कोई उपभोक्ता शुल्क नहीं लगेगा।